पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों मे श्रमिक वर्ग की स्थिति व सरकारी प्रयास

रिक्शा चालक, भवन निर्माता एवं प्रवासी बेघर वर्ग

गौतम बुद्ध नगर
मेरठ
बागपत
सहारनपुर
मुजफ्फरनगर
हापुड़

एक अध्ययन

जानकारी संकलन व रिपोर्टः

लक्ष्मी संस्था

सहयोगः

Indo-Global Social Service Society

आमुख

पिछले दो दशकों से हमारे देश में शहरों की मान्यता मात्र इस बात से नहीं होती कि वह अपने निवासियों को रहने, पढ़ने, काम करने के गैर परम्परागत तरीके प्रदान करते हैं, अपितु इस बात से होने लगी है कि शहर देश की अर्थव्यवस्था को तथा चमक–दमक को बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं क्या शहर अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम हैं, क्या वे इतने व्यवस्थित व आधुनिक हैं कि बाहर से पूंजी निवेश को निभा सकें। इस नए आयाम के चलते अब शहर आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ अब इस बात की महत्ता अधिक है कि शहरी फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर को क्या दे रहा है। दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली एन0 सी0 आर0, कुछ हद तक मुंबई एक ऐसे शहरीकरण का प्रतिबिंब बन रहे हैं जिसमें गरीब वर्ग जिसके पास अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं, अपना कार्य स्थल नहीं, अपनी पहचान नहीं, वो अपनी छवि नहीं ढूढ पा रहा। शहरों के नियोजन में बाजार भाव पर बिकने वाले आवास, दुकान, मॉल्स, पार्किंग, महंगे क्रीड़ा स्थल व पार्क ही केन्द्र बिन्दु बन गए हैं। शहर को चलाने वाला श्रमिक चाहे वो रिक्शा खींचता हो या इन स्थलो की ईंट जोड़ता हो, या फिर ठेला लगता हो या क्रीड़ा स्थलों की साज सज्जा करता हो, शहर को चमकदार साफ बनाता हो, व्यवस्था में इनके लिए कोई स्थान नहीं। ऐसे में अति आवश्यक हो गया है कि शहर को अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से चलाने व सजाने वालों कि पहचान हो तथा उन्हें श्रमिक का दर्जा व अधिकार प्राप्त हो।

सरकार ने विगत एक वर्ष से उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण श्रमिकों हेतु कानून को पुरजोर तरीके से लागू किया है और इसके अंतर्गत शहरों में श्रमिकों का पंजीकरण भी शुरु हो गया है किन्तु अभी भी इस योजना के निष्पादन में अनेक कमियां हैं जिन्हें देखने कि आवश्यकता है। शहर मे रिक्शा चालक की भूमिका को कौन नहीं समझता। एक दिन रिक्शा न चले तो शहर रुक सा जाये, किन्तु अचरज की बात है कि इस वर्ग को किसी कानून में मान्यता नही मिली है। किसी शहर में इनका पंजीकरण होता है तो कहीं ऐसे ही रिक्शा चल रहे हैं, जिसके चलते रिक्शा चालक किसी भी विशेष योजना से वंचित हैं।

जैसे–जैसे एक तरफ शहर ढ़ाचागत विकास की ओर बढ रहे हैं व नए तरह के रोजगारों का सृजन हो रहा है और दूसरी तरफ खेती करना अब सबके बस का नहीं रहा, भूमिहीन खेती मजदूर व सीमांत कृषक अपनी जीविका की खोज में शहरों

की ओर बढ़ रहे हैं। शहर मे काम तो मिल जाता है पर रहने को स्थान नहीं। जो फेरी पटरी पर दुकान करते हैं उन्हे काम पर भी समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं, व रात पड़ने पर सोने के लिए भी छत ढूढ़नी पड़ती है। शहर में बढ़ती बेघरी के चलते हालांकि अब आश्रयगृह बनाने हेतु सरकारी योजना आ गयी है, किन्तु इस पर भी पैनी नजर डालने की आवश्यकता है। बड़े शहरों के अनुभव बताते हैं कि आश्रयगृह प्रायः ऐसी जगह बनाए जाते है जहाँ आसपास कोई श्रमिक नहीं रहते, या फिर उनका प्रबंधन उचित न होने के कारण वे जल्द ही अपना औचित्य खो देते हैं व खाली पड़े रहते हैं।

श्रमिकों की पहचान, शहर में उनका अस्तित्व, उनके कार्य को सम्मान व उचित स्थान, इन्हीं मुद्दों पर समझ बनाने तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी प्रयासों की जानकारी को संकलित करने हेतु संस्था ने एक संक्षिप्त अध्ययन किया जिसकी रिपोर्ट आप सबके संज्ञान में लाने का ये प्रयास है। आशा है कि यह जानकारी हम सबको श्रमिकों के मुद्दों से और जोड़ेगी व हम और आप सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के इस भाग में श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बना पाएंगे।

साभार
ज्योति अवस्थी
निदेशक – लक्ष्मी
संयोजक – असंगठित कामगार अधिकार मंच (पश्चिमी उत्तर प्रदेश)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों मे श्रमिक वर्ग की स्थिति व सरकारी प्रयास - एक अध्ययन

अध्ययन का उद्येश्य

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में श्रमिक वर्ग विशेषकर हाशियें पर खड़े रिक्शा चालक, फुटकर मजदूर व खुले में रात बिताने वाले अत्यधिक गरीब शहरी तथा प्रवासियों की स्थिति को जानना।

- इनसे संबन्धित सरकारी विभागों में जाकर वर्तमान में चालू योजनाओं पर जानकारी लेना व कहाँ चुनौतियाँ आती हैं इसे भी जानना।

- शहर में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से जान पहचान बढ़ाना व उनके कार्यक्षेत्रों को समझना।

- शहरी गरीब वर्ग के इन ज्वलंत मुद्दों पर साझा समझ व कार्यनीति कैसे बनाई जाये इस विषय पर चर्चा आरंभ करना।

अध्ययन की रुपरेखा:-

यह अध्ययन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पाँच जिलों:– गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर व हापुड़ में जनवरी माह 2015 में किया गया जिसमें मुख्यतः–

- लेबर अड्डों पर खड़े होने वाले भवन निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक व खुले में सोने वाले बेघर व्यक्तिओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी।

- सम्बंधित सरकारी विभाग जैसे– जिला श्रम कार्यालय नगर निगम/पालिका में सम्बन्धित अधिकारियों से इन वर्गों के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी एकत्र की गयी।

- आश्रयगृहों की स्थिति देखी गयी, व रात्रि भ्रमण कर शहर में खुले में सोने वालों की संख्या व स्थिति का जायजा लिया गया।

- इन शहरों में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से मिल कर उनके कार्य के बारे में जाना गया व श्रमिक वर्ग के मुद्दों पर चर्चा की गयी।

प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी पर शहरवार संक्षिप्त रिपोर्ट

नोयडा - जिला - गौतम बुद्ध नगर

स्व. संजय गाँधी जी की पहल के द्वारा 17 अप्रैल 1976 में इंमरजेसी के दौरान नोयडा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम के तहत बसाया गया, अब यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। पूरब में नोयडा शहर ग़ाज़ियाबाद ज़िले के अंदर आता था, किन्तु वर्ष 1997 में दादरी, नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा को जिला गाजियाबाद से तथा तहसील सिकन्दराबाद एवं खुर्जा के कुछ क्षेत्रों को जिला बुलन्दशहर से मिलाकर नया ज़िला बनाया गया जिसका नाम गौतम बुद्ध नगर रखा गया वर्तमान में नोयडा में इस ज़िले का शहरी क्षेत्र एवं विधान सभा क्षेत्र भी है।

गौतम बुद्ध नगर मेरठ मण्डल का एक हिस्सा है तथा इस ज़िले में दो तहसील व चार ब्लॉक हैं। सेन्सेस 2011 के अनुसार नोयडा शहरी क्षेत्र की आबादी 5,42,381 है जबकि ग्रेटर नोयडा की आबादी 1,07,677 है।

नोयडा शहर मे श्रमिकों की स्थिति–

चूकि नोयडा शहर एनसीआर का एक महत्वपूर्ण घटक है यहाँ बडे पैमाने पर निर्माण से जुड़े हुए उद्योग बी0पी0ओ0 सूचना प्रोद्योगिकी से जुड़ी इकाइयाँ हैं, साथ ही यह शहर मध्यम व उच्च वर्ग हेतु आवासीय योजनाओं का भी गढ़ है। दिल्ली एनसीआर मे कार्य करने वाले युवा व परिवार बड़ी तादाद मे यहाँ निवास करते हैं। नोयडा, नोयडा एक्सटेन्शन, यमुना एक्सप्रेस वे तथा ग्रेटर नोयडा का विकास पूरी तरह से नयी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को यहाँ बसने के लिए आकर्षित करने हेतु किया जा रहा है। इसी के चलते पिछले अनेक वर्षो से तथा वर्तमान मे यहाँ चारों ओर ढंाचागत निर्माण तेजी से चल रहा है– चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी।

नोयडा शहर मे दो तरह के भवन निर्माण हो रहें हैं–

- ❖ निर्माण स्थल पर ठेकेदारों द्वारा बाहर से श्रमिक ला कर काम करवाना
- ❖ फुटकर मजदूरों का स्वतंत्र रूप से या फिर छोटे ठेकेदारों के साथ काम करना।

बहुत तेजी से निर्माण कार्य होने के कारण नोयडा मे बडी संख्या में श्रमिक लेबर अड्डे पर काम की तलाश में आते हैं। इन लेबर अड्डों से श्रमिक भवन निर्माण के अलावा फैक्टी में भी कार्य हेतु जाते हैं। नोयडा के लेबर अड्डों में महिला श्रमिकों की भी उपस्थिति अच्छी संख्या में देखी जा सकती है।

- ❖ सैक्टर 57 का लेबर अड्डा नोयडा का सबसे बडा लेबर अड्डा है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 3000 श्रमिक कार्य की तलाश में जमा होते हैं। जिनमें महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 300 के करीब होती है।

- सैक्टर 22 एवं सैक्टर 37 मे भी लेबर अड्डों पर श्रमिकों को कार्य की तलाश में खडे हुए देखा जा सकता है
- खोडा एवं सैक्टर 44 में छोटे लेबर अड्डे हैं जहाँ लगभग 200 श्रमिक प्रतिदिन काम की तलाश मे इकट्ठे होते हैं।

उपश्रमायुक्त कार्यालय– जिले में उपश्रमायुक्त कार्यालय सैक्टर 3 में है। यहाँ 2 उपश्रमायुक्त नियुक्त किये गये हैं। श्री ए0के0 शुक्ला जी एवं मो0 शमीम जी। मो0 शमीम जी बी0ओ0सी0डब्लू0 योजना के कार्यवाहक के रुप में कार्यरत् हैं। इनका मानना है कि पंजीकरण की प्रकिया मे कौन पात्र है, कौन अपात्र इस का पता लगाना अधिकारियों के लिए अक्सर कठिन होता है, ऐसे में श्रमिकों के विवेक पर निर्भर करता है की वे सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं। एक बार कार्ड बनाने की प्रक्रिया 7 से 10 दिन मे पूरी हो जानी चाहिए।

बी0ओ0सी0डब्लू0 की स्थिति– अधिकारियों के कथनानुसार योजना के तहत सभी 14 योजनायें चालू हैं किन्तु श्रमिकों का राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

पंजीकरण की स्थिति– योजना के तहत दिसम्बर 2014 तक नोयडा में लगभग 1 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। (हालांकि कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है) इनमें से लगभग 11 हजार श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं।

श्रमिकों के अनुसार योजना की स्थिति– सै0 57 पर स्थित लेबर अड्डे पर श्रमिकों से वार्तालाप करने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1 साल पहले श्रम कार्यालय की ओर से श्रमिकों का लेबर कार्ड बनाये जाने हेतु लेबर कैम्प लगाये गये थे, किन्तु चूँकि प्रवासी श्रमिकों का आना जाना बना ही रहता है इसके चलते अब वहाँ अधिकतर नये श्रमिक आ गये हैं जिनका लेबर कार्ड अभी तक नही बन पाया है। जिन पुराने श्रमिकों का लेबर कार्ड बन गया है उनमें से लाभ पाने वाले श्रमिकों की संख्या कम ही है।

नोयडा मे रिक्शा चालकों की स्थिति

नोयडा शहर में अनुमानतः लगभग 20000 रिक्शे चलते हैं। अधिकतर रिक्शा चालक प्रवासी हैं जो कि गैराज पर, किराये पर एवं झुग्गी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ रिक्शा चालकों से बातचीत करने पर जो जानकारी मिली वो निम्ननिखित हैः–

- अधिकतर रिक्शा चालकों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है।
- 10 साल और उससे अधिक समय से शहर मे रिक्शा चला रहे हैं।
- नोयडा में रिक्शे की पासिंग शुल्क नहीं लगती है किन्तु नोयडा पार करते ही दिल्ली या गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा पासिंग शुल्क की पर्ची काट दी जाती है।
- अभी तक किसी भी योजना का लाभ रिक्शा चालकों को नहीं मिल पाया है।
- अधिकतर रिक्शा चालकों को योजनाओं के विषय मे कोई जानकारी नहीं है।
- रिक्शे का प्रतिदिन का किराया रु0 50 से 60 बनता है जो रोज चालक मालिक को देता है।

रिक्शा चालकों से लिए जाने वाले पासिंग प्लेट व शुल्क के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश गजट 23 अक्टूबर 1999 के तहत रिक्शा चालकों को नगर निगम के अन्तर्गत व्यापार करने पर वार्षिक शुल्क प्रतिवर्ष 100रू 1 अप्रैल से 21 जुलाई के मध्य नगर निगम को अदा करना होता है। जो रिक्शे किराये पर चलते हैं उनका शुल्क 100 रू एवं निजी रिक्शा स्वयं चलाने पर शुल्क 60 रू वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। यदि ये वार्षिक शुल्क नियत तिथि पर अदा नहीं किया जाये तो 20 रू विलंब शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। किन्तु वर्तमान स्थिति मे विभिन्न शहरों की नगर पालिका में से केवल मुजफरनगर एवं बागपत की बड़ौत तहसील में नगर पालिका द्वारा यह शुल्क लिया जा रहा है। अन्य शहरों मे ये पासिंग शुल्क बन्द कर दिया गया है। मेरठ शहर मे 1 साल से पासिंग शुल्क नगर निगम के द्वारा नहीं लिया गया है। मेरठ शहर मे कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के द्वारा अपने क्षेत्र में चल रहे रिक्शों से पासिंग शुल्क लिया जा रहा है। 3 साल पूर्व ये पासिंग शुल्क लिये जाने के लिये मेरठ नगर निगम के द्वारा ठेकेदार को ठेका दिया गया जो कि नियत शुल्क से ज्यादा की वसूली करने लगा जिसका विरोध मेरठ रिक्शा एशोसिएशन के द्वारा किया गया। अधिकतर शहरों में रिक्शा चालक किराये का रिक्शा चलाते हैं जिस कारण पासिंग शुल्क की पर्ची रिक्शा मालिक के नाम से कटती है। इस स्थिति मे उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही 540 करोड़ की ई–रिक्शा योजना के तहत बहुत से रिक्शा चालक लाभ पाने से वंचित रह जायेंगे जिसका मुख्य कारण निगम द्वारा योजना हेतु रिक्शा चालकों को चयनित करने के लिए 3 साल की पासिंग शुल्क की पर्ची पर उल्लिखित नाम को आधार बनाया गया है। इस आधार पर रिक्शा मालिकों को योजना का लाभ मिलेगा और हाशिये पर खड़े रिक्शा चालक एक बार फिर सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित रह जायेंगे।

नगर पालिका गौतम बुद्ध नगर

- नगर पालिका का कार्यालय दादरी मे स्थित है।
- नगर पालिका द्वारा रिक्शा चालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है एवं अनुज्ञप्ति पत्र भी नहीं बनाया जाता है।

जिला नगरीय विकास प्राधिकरण नोयडा

- डूडा नोयडा का कार्यालय विकास भवन सूरजपुर में स्थित है तथा वर्तमान मे परियोजना अधिकारी सुश्री रजनी सिंह जी है।
- राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन एन0यू0एल0एम0 के तहत एकल ऋण आवेदन हेतु दिसम्बर 2014 तक 200 आवेदन प्राप्त किये गये है तथा अब तक 2 बार आवेदकों के साथ साक्षात्कार किया गया है किन्तु जनवरी 2015 तक कोई स्वीकृति नही प्रदान की गयी है।
- योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु 17 बस्तियों को चुना गया है।

गौतम बुद्ध नगर मे बेघर साथियों तथा उनसे सम्बन्धित आश्रयगृहों की स्थिति

नोयडा शहर मे जनवरी माह मे रात्रि भ्रमण के दौरान सडकों पर सोते हुए किसी को नहीं पाया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि जिनकी सडकों के किनारे छोटी दुकाने हैं वही टाट पन्नी लगाकर फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ लोग झुग्गी बनाकर रह रहे है।

ठंड मे कोई इंतेजाम न होने के कारण लोग जहाँ तहाँ छिप कर सो जाते हैं। शौचालय व स्नानघर का भी इस विशेष प्रावधान नहीं है। नोयडा मे काफी जमीन खाली पड़ी है जिसका प्रयोग लोग नित्यकर्म के लिए कर लेते है। बड़ी मात्रा मे प्रवासी एकल युवक खोड़ा मे किराये पर कमरा लेकर रहते हैं और अक्सर एक कमरे में चार से पाँच युवक तक रहते हैं। मकान मालिक बहुत अधिक किराया मांगते हैं। युवकों का कहना है कि सब कुछ देने के बाद उनके हाथ मे कुछ खास बचत नही होती। प्रवासी के लिए यहाँ जीवन संघर्षमय है। कई बार परिचय पत्र के अभाव में कमरा किराये पर नहीं मिलता है।

जिले में 2 शहरी क्षेत्र हैं नोयडा एव ग्रेटर नोयडा किन्तु विकास प्राधिकरण की ओर से एक मात्र अस्थाई आश्रयगृह का निर्माण कराया गया है जो कि सै0 22 नोयडा स्टेडियम में स्थापित है। नगर पालिका द्वारा कोई भी आश्रयगृह नहीं बनाया गया है। परियोजना अधिकारी के अनुसार एन0यू0एल0एम0 योजना के तहत 2 स्थाई आश्रयगृह बनाये जाने का प्रावधान है किन्तु अभी तक न तो इस दिशा मे आगे कोई कार्यवाही हुई न ही इससे संबन्धित कोई भी जानकारी प्राप्त हुई।

मेरठ

मेरठ, उत्तर प्रदेश राज्य का एक महानगर है जिसके शहर की आबादी 13,09,023 है। यहाँ नगर निगम कार्यरत है। यह प्राचीन नगर दिल्ली से 72 किमी0 उत्तर पूर्व में स्थित है तथा यह उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित शिक्षित होते जिलों में से है। जिले की जमीन काफी उपजाऊ है और यहाँ बारहों मास खेती होती है। मेरठ मे खेल का सामान बनाने वाले उद्योग जग चर्चित है। इन सबके बावजूद शहर मे ढाँचागत विकास कुछ विशेष नहीं हुआ है, शहर अभी भी पुरानी सड़कों और पुलों पर दौड़ रहा है।

मेरठ शहर में श्रमिकों की स्थिति– मेरठ शहर मे नोयडा, गाजियाबाद की तुलना मे निर्माण कार्य बहुत नहीं चल रहा जिसके चलते यहाँ मजदूर अधिकांशतः लेबर अड्डों पर खड़े फुटकर रोजगार की तलाश मे ही नजर आते हैं। शहर में छोटे एवं बडे मिलाकर 13 लेबर अड्डे हैं।

श्रमिकों की जनसंख्या काफी है किन्तु महिला श्रमिक लेबर अड्डों पर नहीं मिलती हैं। लेबर अड्डों पर केवल भवन निर्माण श्रमिक ही खडे होते हैं। कुछ प्रमुख लेबर अड्डे जैसे बेगमपुल, जेल चुंगी, बागपत अड्डे, जेडी, शास्त्रीनगर ऐसे भी हैं जहाँ प्रतिदिन लगभग 3000 श्रमिक कार्य की तलाश मे खडे होते हैं। कहने को ये लेबर अड्डे हैं लेकिन खड़े होने के लिए कोई नियत स्थान नही हैं। लोग सड़क के किनारे, डिवाइडर पर संघर्ष करते दिखाई देते हैं।

उपश्रमायुक्त कार्यालय– मेरठ मे उपश्रमायुक्त कार्यालय बेगम पुल के पास घंटाघर रोड पर स्थित है। वर्तमान मे श्री मधुर सिंह जी उपश्रमायुक्त है।

बी0ओ0सी0डब्लू0 की स्थिति– इस योजना के तहत सभी 14 योजनायें चालू हैं तथा नोएडा की ही तरह मेरठ में भी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से कोई लिंक नही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसम्बर 2014 तक 40148 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है जिसमें से 2532 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं मे लाभ मिला ।

श्रमिकों के अनुसार योजना की स्थिति– बेगम पुल लेबर अड्डे पर खडें श्रमिकों से जानकारी प्राप्त हुई की 1 साल पहले लेबर अड्डे पर लेबर कार्ड हेतु लेबर कैम्प लगा था। लगभग 20 श्रमिकों से बात करने पर केवल 1 श्रमिक का कार्ड बना हुआ पाया गया और जिसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है।

मेरठ में रिक्शा चालकों की स्थिति

अधिकतर रिक्शा चालक आस पास के गाँव से और दूसरे जिलों से शहर मे आकर रिक्शा चला रहे हैं। शहर मे लगभग 25000 रिक्शे चलते हैं। मेरठ जिले मे वर्तमान मे रिक्शा चालकों से रिक्शे की पासिंग प्लेट का शुल्क कैंन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है एवं चालकों का अनुज्ञप्ति पत्र भी कैंट द्वारा ही दिया जा रहा है।

कुछ रिक्शा गैराज मालिकों से बात करके निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई–

अजहर गैरेज, केसर गंज, मकबरा रोड पर गैरेज मालिक सईद जी ने बताया की लगभग 5 साल पहले घण्टाघर पर निगम की ओर से रिक्शा स्टैण्ड बना हुआ था किन्तु अब उसे खत्म कर दिया गया है। आटो व टैम्पो का अवैध रुप से चलना रिक्शे के कारोबार के लिए बहुत बडी समस्या है मैराजुद्दीन गैराज मकबरा अब्बू, बजरीया मे गैराज मालिक मैराज जी ने रिक्शा चालकों की स्थिति को बताते हुए कहा कि इन श्रमिकों के लिए प्रशासन द्वारा कोई विशेष योजना न चलाये जाने के कारण ये वर्ग सभी तरह से पिछड़ता जा रहा है। कुल मिलाकर गैराज मालिकों को भी रिक्शा चालकों से संबन्धित किसी सरकारी योजना की कोई जानकारी नही है।

मेरठ नगर निगम व रिक्शा चालक– मेरठ नगर निगम द्वारा 3 साल पूर्व पासिंग प्लेट व चालको का अनुज्ञप्ति पत्र दिया जा रहा था किन्तु 3 साल से निगम द्वारा यह कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाने लगा। पासिंग शुल्क 50 रू से बढकर 120 रू कर दिया गया। निगम द्वारा वर्तमान मे चालकों का अनुज्ञप्ति पत्र नहीं बनाया जा रहा है। 1 साल से ठेकेदार द्वारा भी पासिंग प्लेट नही बनाई जा रही है। अभी तक रिक्शा चालकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से जोडने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। रिक्शा चालकों को किसी भी योजना का लाभ भी नहीं दिया गया है।

रिक्शा चालकों की यूनियन की स्थिति– मेरठ जिले में रिक्शे का कारोबार करने वाले कारोबारियों का अपना मेरठ रिक्शा एसोशिएशन नाम से गैराज मालिकों का यूनियन है। इस यूनियन के अध्यक्ष भारत भूषण जी हैं। यूनियन के महामंत्री अविनाश गोयल जी के अनुसार निगम द्वारा 3 साल पूर्व ठेकेदारी की शुरूआत करने का यूनियन ने विरोध किया था किन्तु उनकी नहीं सुनी गयी। ठेकेदारी शुरू होने के कारण शुल्क बढ गया और भ्रष्टाचार भी होने लगा। सडकों पर आटो बढने से रिक्शे का कारोबार भी बन्द होने के कगार पर आ गया है। अब रिक्शा चालकों की संख्या में भी कमी हो गयी है क्योंकि आय लगातार कम होती जा रही है व मंहगाई बढ़ती जा रही है। गोयल जी ने इस बात पर दुख भी जताया कि रिक्शा चालकों की समस्या को आज तक किसी ने उठाया नहीं है। उनका मानना है कि शहर मे रिक्शा चालकों को श्रमिक का दर्जा दिया जाना चाहिए क्यूंकि किसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है इसलिए यूनियन भी मजबूत और सक्रिय नहीं हो पा रही है।

पूरे मेरठ शहर मे रिक्शा चालकों के लिए कहीं भी रिक्शा स्टैण्ड नहीं बनाया गया है।

मेरठ शहर में बेघर साथियों व उनसे सम्बन्धित आश्रयगृहों की स्थिति

मेरठ जिले मे नगर निगम के द्वारा 12 स्थायी आश्रयगृह बनाये गये हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित है–

- गगौल रोड, दयाल हास्पिटल के बगल में।
- बाईपास भोला रोड क्रॉसिंग पर।
- बागपत रोड पुलिस चौकी के पास।
- हापुड रोड पे तिरंगा रोड।
- मेडिकल पर।
- तेजगढ़ी चौराहे से एल ब्लाक तिराहे से शेरगढी।
- कंकरखेडा पहाडियों नगला तहसील के पास।
- टाउन हाल घण्टाघर के पास।
- सूरजकुण्ड डिपो।
- बच्चा पार्क।
- पल्लापुरम् फेस वन पानी की टंकी सरधना तहसील।

शहर में बड़े पैमाने पर बेघरी है। इस सम्बन्ध मे और जानकारी प्राप्त करने हेतु हमने बेगमपुल के डिवाइडर पर सो रहे एक बेघर साथी 27 वर्षीय विजय कुमार से बातचीत में पाया कि वह जिला सुल्तानपुर का मूल निवासी है तथा पिछले सात सालों से अपनी बहन, पत्नी व दो बच्चों के साथ यहाँ जीवन यापन कर रहा है। विजय व उसका परिवार शहर मे कबाड चुगने का काम करते हैं। शहर मे झुग्गी बनाने के लिए भी उसे कोई स्थान नहीं मिल पाया जिसके कारण वो सड़क के किनारे ही परिवार के साथ रहता है। विजय के अनुसार उसके जैसे बहुत से परिवार घण्टाघर, आबूनाला, बेगमपुल एवं अन्य स्थानों पर खुले रहते हैं। गाँव में कोई काम न होने के कारण उसको परिवार के सथ शहर मे कूड़ा बीनने का काम करना पड़ रहा है। आश्रयगृहों के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। जिस स्थान पर विजय अपने परिवार के साथ रह रहा है उसके सबसे पास जो आश्रयगृह है वो बच्चा पार्क स्थित बिजलीघर के परिसर में बनाया गया है जो सडक से अन्दर की ओर है किन्तु बाहर निगम द्वारा आश्रयगृह से सम्बन्धित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है न ही कभी किसी ने इसके संबंध में कोई जानकारी दी गई है। इस आश्रयृह मे 9 बेड एवं रजाई एवं गद्दे, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा है। सोने वालों की संख्या 5 लोगों की पाई गई जो उस जगह काम करने वाले ही है।

जानकारी के अभाव मे तथा समुचित स्थान पर आश्रयगृह से संबन्धित बोर्ड न लगे होने के कारण बेघर लोग इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

जिला नगरीय विकास प्राधिकरण– मेरठ मे जिला नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी गरीबों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है–

- ❖ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) शहर में सिटी लावलीहुड सेन्टर बनाने की शुरूआत हो गई है। एकल ऋण आवेदन मे अब तक 2900 लोगों को आवेदन किए हैं जिनमे से 1200 लोगों का साक्षत्कार हो चुका है। विभीन्न ट्रेडों मे प्रशिक्षण हेतु आवेदन आ रहे हैं।
- ❖ ई–रिक्शा योजना के तहत 107 रिक्शा चालकों के नाम की सूची प्रशासन को भेजी गई है।

बागपत

उत्तर प्रदेश के नवीनतम जिले में से एक बागपत जिला जो कि मेरठ मंडल मे आता है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कई वर्ष पूर्व यहाँ पर बाघ पाये जाते थे इसलिए जिले को व्याघ्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। जिला बागपत मेरठ मंडल का हिस्सा है तथा जिले में 6 ब्लाक व तीन तहसील है। जनगणना 2011 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 102,025 शहरी क्षेत्र की जनसंख्या है।

श्रमिकों की स्थिति

बागपत जिले में ढाँचागत विकास की अधिकता न होने के कारण यहाँ भवन निर्माण श्रमिकों की संख्या काफी कम शहरी क्षेत्र में एक मात्र लेबर अड्डा बड़ौत सामली मार्ग पर नाले के किनारे लगता है जहाँ लगभग 150 श्रमिक खड़े होते हैं। जिले में 407 पंजीकृत ईंट भट्टे हैं तथा अधिकतर श्रमिक भट्टों पर काम करते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी का कार्यालय तहसील परिसर में स्थित है।

बी0ओ0सी0डब्लू0 एक्ट पंजीकरणः— कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसम्बर 2014 तक मात्र 2,303 लोगों का पंजीकरण किया गया है। जिसमें से विभिन्न योजनाओं मे लाभार्थियों की संख्या दिसम्बर 2014 तक मात्र 48 रही है।

श्रम कार्यालय की ओर से ईंट भट्टों पर कार्य कर रहे श्रमिकों का पंजीकरण होता है, किन्तु बहुत समय से कोई शिविर नहीं लगाया गया है। बहुत से श्रमिकों का पंजीकरण फार्म तो जमा कर लिया गया है किन्तु एक साल के बाद भी उनका कार्ड नहीं बन पाया है। श्रम कार्यालय में मात्र तीन कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं, जिनमें से श्रम प्रवर्तन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है और ये स्थान अभी रिक्त हैं। कर्मचारियों से बातचीत मे ये स्पष्ट हुआ की इनकी संख्या कम होने के कारण कार्यों के प्रतिपादन में विलंब हो रहा है।

बागपत में बेघरो की स्थिति व आश्रयगृह

बागपत अपेक्षाकृत एक छोटा जिला है व इसकी नगर पालिका सीमाएं भी सीमित हैं। दिल्ली के समीप होने से जिन मजदूरों को बेहतर रोजगार की तलाश होती है वे प्रवास कर जाते हैं शेष अधिकतर श्रमिक आस—पास के गाँव के होते हैं जो कार्य के पश्चात घर को लौट जाते हैं। जो श्रमिक ईंट भट्टों पर कार्य करते हैं वे वहीं झुग्गी बनाकर गुजर बसर करते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर पालिका द्वारा एक आश्रयगृह बनाने हेतु स्थान चयनित कर प्रशासन को भेज दिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

रिक्शा चालकों की स्थिति

बागपत जिले की नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 5000 रिक्शे चलते हैं। बड़ौत नगर पालिका द्वारा रिक्शे का पासिंग शुल्क नहीं लिया जा रहा है न ही नगरपालिका द्वारा रिक्शा चालकों का अनुज्ञप्ति पत्र बनाया जाता है। इसके चलते रिक्शा चालकों के काम को पहचान नहीं मिल पा रही है तथा किसी सरकारी योजना से लाभ भी वे नहीं उठा पा रहे हैं।

जिला नगरीय विकास प्राधिकरण

वर्तमान मे डूडा के परियोजना अधिकारी श्री जगत सिंह जी हैं जिनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार ई–रिक्शा योजना के तहत 75 रिक्शा चालकों के नाम की सूची प्रशासन को भेज दी गयी है किन्तु अभी किसी पर स्वीकृति नहीं मिली है। एन0यू0एल0एम0 योजना के अन्तर्गत एकल ऋण आवेदन में साक्षात्कार हेतु टास्क फोर्स कमेटी बनायी गयी है जिसमें एस0डी0एम0, सी0डी0ओ0, पी0ओ0 डूडा, एवं बैंक अधिकारी हैं। एकल ऋण आवेदन में 119 लोगों के आवेदन का टारगेट बनाया गया है जिसमें वर्तमान में 219 आवेदन आ चुके हैं। चयन हेतु टास्क फोर्स कमेटी द्वारा अभी तक कोई साक्षात्कार नहीं हो पाया है। योजना में प्रशिक्षण हेतु फार्म भी भरवाये जा रहे हैं। कुल मिलाकर दिसंबर 2014 तक एन0यू0एल0एम0 में इस जिले से कोई लाभार्थी नहीं बना है।

सहारनपुर

सहारनपुर गंगा–जमुना का दोआब क्षेत्र है। सहारनपुर की जमीन को एक ओर से गंगा जी एवं दूसरी ओर से यमुना जी सींचती हैं। सहारनपुर की काँठ कला विश्व प्रसिद्ध है। इतिहासकार कनिंघम ने सरसावा को गेटवे ऑफ यमुना कहा था। सहारनपुर एक मंडल है जिसे 5 तहसीलों मे बाँटा गया है। शहर मे नगर निगम स्थापित है। जनगणना 2011 के अनुसार सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या 703,345 है।

सहारनपुर जिले में आश्रयगृह व बेघर साथियों की स्थिति

रात्रि भ्रमण के दौरान घंटाघर, रेलवे स्टेशन परिसर एवं शहर के मुख्य सड़कों पर बहुत से बेघर साथी सो रहे थे। घंटाघर मार्केट के उपरी मंजिल पर नगर निगम द्वारा एक स्थाई आश्रयगृह बनाया गया है जो कि रात 10 बजे बन्द हो जाता है। रात करीब 11:45 पर आश्रयगृह के बाहर कुछ लोग सोने जा रहे थे उनसे जानकारी मिली की शहर में जगह–जगह जैसे घंटाघर, चौक साईं धाम, रेलवे के पास ओवरब्रिज के नीचे व रेलवे परिसर मे बेघर साथी सड़कों के किनारे रात काटते हैं। बेघर साथी राजेन्द्र जी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और शहर मे पिछले 8 सालों से जीवन यापन कर रहे हैं। राजेन्द्र जी ने बताया की वो एक बेलदार हैं और रोज आश्रयगृह में ही रात गुजारते हैं किन्तु आज काम बहुत दूर मिलने की वजह से देर हो गई इस कारण मार्केट मे सोना पड़ रहा है। राजेन्द्र जी का अब तक कोई पहचान प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। उन्हें सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। रेलवे स्टेशन परिसर मे नगर निगम द्वारा तम्बू लगाकर अस्थाई रैन बसेरे बनाये गये हैं जिसमें फटी दरी एवं कम्बल दिये गये हैं उसमें सोने वाले अधिकतर बेघर साथी नशे मे थे वहाँ कोई चौकीदार नहीं था। आश्रयगृह की हालत सोचनीय है।

सार्वजनिक अवकाश होने कि वजह से सरकारी विभागों से कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई है।

मुजफ्फर नगर

मुजफ्फर नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व मेरठ मंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है जो अपनी चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध है व उत्तर प्रदेश को चीनी के व्यापार मे अग्रणी बनाता है। जिले को 9 ब्लाक व 4 तहसील मे बाँटा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 392,451 है।

श्रमिकों की स्थिति

मुजफ्फर नगर में निर्माण कार्य तेजी से बढ रहा है। श्रम कार्यालय की ओर से बी.ओ.सी.डब्लू. योजना मे श्रमिकों को जोडने हेतु बड़ी–बड़ी साईटों पर कैम्प लगाए जा रहे हैं किन्तु फुटकर श्रमिक इस योजना से छूटे जा रहे हैं क्यूंकि विभाग लेबर अड्डों की ओर ध्यान नहीं दे रहा। जिन श्रमिकों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड बना है और वे उस जॉब कार्ड पर 50 दिन कार्य कर चुके होते हैं उनका भी पंजीकरण बी0ओ0सी0डब्लू0 योजना के तहत किया जा रहा है।

जिले का श्रम कार्यालय सर्क्युलर रोड पर केन्द्रीय विद्यालय के सामने स्थित है। वर्तमान मे यहाँ के उपश्रमायुक्त एम0 एस0 रावत जी हैं जिन्होंने जानकारी दी की दिसम्बर 2014 तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 4300 थी तथा 2608 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में लाभ भी मिला है। शहर मे 9 लेबर अड्डे हैं जिनमे से 4 लेबर अड्डे पर कार्यालय द्वारा पंजीकरण कैम्प लगाया जा चुका है। लासजठ तहसील में अधिक संख्या में श्रमिक लेबर अड्डों पर इकट्ठे होते हैं। वर्तमान मे लेबर पंजीकरण कैम्प बड़ी निर्माण साइटों पर लगाए जा रहे हैं। उपश्रमायुक्त जी का सुझाव था कि बी0ओ0सी0डब्लू0 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों की संख्या बढाई जाये और जिले में अन्य जो नोडल अधिकारी हैं जैसे एस0डी0एम0, सी0डी0ओ0 इनको भी पंजीकरण हेतु टारगेट दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण द्रुतगति से किया जा सके।

मुजफ्फर नगर में बेघर साथियों व आश्रयगृहों की स्थिति

शहर की सड़कों पर रात्रि भ्रमण के समय घंटाघर के आसपास लगभग 60 बेघर लोग किनारे सो रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास भी लगभग 40 लोग सडकों के किनारे सोते हुए पाये गये। हम अधिकतर बेघर परिवारों के साथ मिले। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि बेघर साथियों को आश्रयगृहों की कोई जानकारी नहीं है। वे सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काम कि तलाश में यहाँ बसे हुए हैं व ज्यों त्यों गुजर बसर कर रहे हैं।

शहरी जनसंख्या के अनुपात मे केवल एक स्थाई आश्रयगृह बनाया गया है जो कि नगर पालिका के कार्यालय में ही स्थित है और सिर्फ रात मे ही उपयोग मे लाया जाता है क्यूंकि दिनभर कार्यालय का समय होता है। इस आश्रयगृह में केवल 50 व्यक्तियों के सोने की व्यवस्था है तथा आश्रयगृह की हालात सोचनीय है जिसमें फटी रजाईयाँ एवं दरी उपयोग हेतु दी गई है।

राष्टीय शहरी आजिविका मिशन के तहत 2 स्थाई आश्रयगृहों के निर्माण के लिए डी0पी0आर0 हो चुका है अब निर्माण होना बाकी है। नगर पालिका ने कोई अस्थाई रैनबसेरे नहीं बनाए हैं जबकि लोग खुले मे ठंड की रातें काटने को मजबूर हैं।

केस स्टडी

मुजफफर नगर बस अड्डे के नजदीक गुरूद्वारे के पास सड़क किनारे लगभग 70–80 बेघर लोग रहते हैं। कुछ सो रहे थे कुछ सोने कि तैयारी में थे जिनसे बातचीत की गई। अधिकतर लोग अन्य जिलों के रहने वाले हैं जो कि कुछ वर्षों से इस शहर मे कबाड़ बीनने, बेलदारी व होटलों मे काम करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक परिवार मिला जिसमें पति–पत्नी, एक 4 वर्षीय बालक व 10 दिन की बच्ची थी। यह परिवार पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा है। 10 दिन पहले सरकारी अस्पताल मे उनकी एक बेटी हुई। अस्पताल से छुट्टी के बाद ये वापिस इसी फुटपाथ पर आ गए। जनवरी कि ठंड मे नवजात को निमोनीया हो गया है और अभी उसका ईलाज चल रहा है। शहर में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कि सड़कों पर गुजर बसर करते हैं। इनकी उतनी कमाई नहीं हो पाती है जिससे ये शहर मे किराए पर मकान ले सकें। ऐसे मे माता–पिता के साथ उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा ये चिंताजनक बात है।

रिक्शा चालकों की स्थिति

मुजफ्फर नगर शहर मे लगभग 25000 रिक्शे चलते हैं। अधिकतर रिक्शा चालक लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव व अन्य जिलों से आते हैं। आस पास के गाँव के भी बेरोजगार लोग रिक्शा चलाने शहर मे आते हैं। बाहर से आये रिक्शा चालक शहर में झुग्गी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ नगर पालिका द्वारा रिक्शे की पासिंग प्लेट का शुल्क पालिका द्वारा स्वयं लगाया जाता है शुल्क 110 रू लिया जाता है। 15 रू शुल्क में अनुज्ञप्ति पत्र दिया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष सभी शहरों की अपेक्षा विकास प्राधिकरण की ओर से बेहतर नियोजन किया गया है। प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न स्थानों पर रिक्शा स्टैण्ड दिए हैं। रिक्शा चालकों की कोई यूनियन है या न ही इस विषय पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रिक्शा चालको से बातचीत पर यह समझ में आया कि उन्हें सरकारी योजनाओं आदि के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है। वे अपना रिक्शा खींचते हैं और संघर्षमय जीवन जीते हैं।

नगरपालिका

नगर पालिका का कार्यालय बस डिपो से 2 किमी0 पर स्थित है जहाँ वर्तमान मे अधिशासी अधिकारी श्री अजीत सिंह जी है। नगर निगम की ओर से रिक्शा चालकों के लिए कोई खास कार्यक्रम आदि नहीं है।

जिला नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा)

डूडा का कार्यालय विकास भवन मे स्थित है। परियोजना अधिकारी श्री दीपक कुमार जी से जानकारी मिली कि एन0यू0एल0एम0 में 666 व्यक्तियों ने एकल ऋण आवेदन के जमा किए गये हैं। आवेदन पर 2 बार साक्षात्कार हो चुका है किन्तु ऋण वितरण नहीं हुआ है। ई–रिक्शा योजना हेतु 120 रिक्शा चालकों का चयन किया गया है।

हापुड़ (पंचशील नगर)

28 सितम्बर 2011 को हापुड़ तहसील को उत्तर प्रदेश के एक और जिले के रूप मे निर्मित किया गया जिसे पंचशील नगर नाम दिया गया। हापुड जिले की विशेषता है कि यहाँ बड़ी मात्रा मे स्टेनलेस स्टील की पाइप व पेपर कोन एवं ट्यूबस बनते हैं।

जिला हापुड मेरठ मंडल का भाग है जिसमें 3 तहसील तथा 4 ब्लाक हैं जिले कि शहरी आबादी सेंसस 2011 के अनुसार 262,801 है।

श्रमिकों की स्थिति

चूंकि हापुड़ जिला अभी ढाँचागत विकास कि दौड़ मे पीछे है इसलिए यहाँ निर्माण कार्य अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ा यही कारण है कि जिले मे मात्र एक लेबर अड्डा है जो नगर पालिका के सामने ही स्थित जगत चौराहे पर लगता है जहाँ पर लगभग 1000 श्रमिक काम की तलाश मे खड़े होते हैं। यहाँ श्रमिकों में महिलाएं नहीं होती हैं।

बी0ओ0सी0डब्लू0 योजना कि स्थिति

लेबर अड्डों पर खड़े श्रमिकों से पूछताछ पर पता चला कि अधिकांश श्रमिकों का लेबर कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। एक साल पहले अड्डे पर लेबर कैम्प लगाया गया था। अब केवल बड़ी साइटों पर लेबर कैम्प लगाया जाता है। श्रम कार्यालय नगर पालिका से 3 किमी0 पर स्थित है। उपश्रमायुक्त अनुराग मिश्रा जी हैं जिनसे जानकारी मिली कि योजना के तहत दिसम्बर 2014 तक 4000 पंजीकरण हो चुके हैं व अनुमानतः 265 श्रमिकों को कानून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में लाभ भी मिल चुका है।

रिक्शा चालकों की स्थिति

हापुड़ शहर मे लगभग 15000 रिक्शा चलते हैं। अधिकतर रिक्शा चालक बाँदा, लखीमपुर, सीतापुर व बिहार के कुछ जिलों से भी आए हुए हैं। रिक्शा चालकों तथा नगर पालिका में बात करने से ज्ञात हुआ की नगर पालिका द्वारा रिक्शा चालकों का अनुज्ञप्ति पत्र नहीं बनाया जा रहा है। एक साल पूर्व शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार पासिंग शुल्क लिया जाना भी बन्द कर दिया गया है। कुछ रिक्शा चालकों से बात करने पर जानकारी हुई की उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और सरकारी योजनाओं की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रिक्शा चालक अधिकतर बैराज पर ही रात गुजारते हैं।

हापुड़ में बेघर साथयों व आश्रयगृहों की स्थिति

शहर मे रात्रि भ्रमण करते हुए इक्का दुक्का लोग खुले में सोते पाये गये। रिक्शा चालक गैराज पर पन्नी तान कर सोते हैं। नगर पालिका द्वारा शहर मे एक अस्थाई आश्रयगृह बनाया गया है जो कि नगर पालिका परिसर मे ही है और केवल रात्रि उपयोग मे आता है। वहाँ जाकर पता चला कि लगभग 10 लोग आश्रयगृह का उपयोग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत 1 स्थाई आश्रयगृह बनाये जाने हेतु डी0पी0आर0 हो चुका है अब आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

हापुड़ नगर पालिका व जिला नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा)

हापुड़ नगर पालिका का कार्यालय जगत चौराहे पर स्थित है जहाँ वर्तमान में नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा जी है।

डूडा का कार्यालय नगर पालिका परिसर में ही स्थित है तथा वर्तमान में डूडा के परियोजना अधिकारी श्री इंद्रसेन सिंह जी जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन में एकल ऋण हेतु 129 आवेदन आ चुके हैं व ऋण हेतु एक बार साक्षात्कार हो चुका है। कौशल प्रशिक्षण हेतु 2 बस्तियों को चुना गया है और अभी प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र भरवाये जा रहे हैं।

निष्कर्ष

जानकारी संकलन के दौरान टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेष के 6 शहरों का भ्रमण कर यही पाया कि कमोवेश स्थिति एक जैसी ही है। योजनाएँ अथवा मिशन कितने भी आ जायें शहरों की सूरतें, सरकारी महकमों की चाल–ढाल कुछ भी नहीं बदलता। सड़क पर खड़ा मजदूर हो अथवा रिक्शा चालक या फिर फुटपाथ पर सोने वाले या बेघर, सब अपने संघर्षों से स्वयं जूझ रहे हैं। इसे इन्होंने अपनी नियति मान लिया है। सरकारी योजना एक योजना के रूप मे कागज पर आती है तथा कागजों पर ही उलझकर रह जाती है। उसका उसके पात्रों से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। आश्रयगृह वहाँ बनता है जहाँ सस्ती जगह मिलती है, वहाँ नहीं जहाँ बेघर व्यक्तियों की बहुतायता हो। लेबर कार्ड बनाने हेतु कोई तरीका सुनिश्चित नहीं किया गया। कभी कार्यालय मे लाइन लगाकर आवेदन करना होता है तो कभी अड्डों पर ही कैम्प लग जाता है। श्रमिकों के बीच भी कोई उत्साह नहीं दिखता। वे मानव मण्डी कल भी लगाते थे और कार्ड बन जाने के बाद भी वैसे ही मोलभाव के बीच अपना श्रम सस्ते में बेचते हैं। आश्रयगृह बनाने से पहले आवश्यक है शहर मे बेघरी की स्थिति को जाँचना जो कि कहीं नहीं हुआ। कहीं सड़कों पर दुधमुहें बच्चे जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे हैं कही महिलाएँ अपना सम्मान बचाती रात गुजार रही हैं। आवश्यकता है कि सोच बदली जाये। मनुष्य को मनुष्य समझा जाये न कि लाभार्थि। श्रमिक सम्मान जनक रूप से अपने कार्यस्थल पर खड़े हों उन्हें वहाँ मूलभूत सेवा मिले। आश्रयहीन प्रवासी आश्रय मे रहें, परिवार घरों में रहें रिक्शा के लिए निश्चित स्टैंड हो, पहचान हो, सामाजिक सुरक्षा हो।

यह तभी सम्भव है जब शहरों के नागरिक संगठन आपस में जुड़ें, इन बातों को महसूस करें व सही पटल पर उठायें। सरकार के साथ जुड़ें व सब मिलकर शहर को सुव्यवस्थित व सुनिश्चित बनाये जहाँ हर वर्ग स्वयं को सम्मानित व सुरक्षित महसूस करें।

क्षेत्र भ्रमण व जानकारी संकलन– अखिलेश श्रीवास्तव व अनुपम पाण्डेय; *लेखन–* अनुपम पाण्डेय; *मार्गदर्शन व एडिटिंग–* ज्योति अवस्थी
सहयोग– बेघर साथी, श्रमिक वर्ग, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अधिकारी; *मुद्रण:* प्रिंटोग्राफ